न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46/2015 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 20.10.2015
G.C.M.S. NO. :_ 2015/00022

समस्त ग्रामवासी गांव ताराखेड़ी, ग्राम पंचायत दामाखेड़ा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये प्रतिनिधिः–

1–प्रेमसिंह पिता गोदासिंह जाति रावत उम्र बालिग
2–रतनसिंह पिता सीताराम जाति रावत, उम्र बालिग
3–रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल शर्मा, उम्र बालिग
4–प्रभूलाल पिता बालूलाल सुथार, उम्र बालिग
5–शांतिलाल पिता शंकरलाल शर्मा उम्र बालिग, सभी निवासीयान ग्राम ताराखेड़ी, ग्राम पंचायत दामाखेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकारगण

बनाम

1–श्रीमति देउ बाई पत्नि उदयदास वैष्णव, उम्र वयस्क, निवासी ताराखेड़ी, ग्राम पंचायत दामाखेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत दामाखेड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत दामाखेड़ा, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आबादी भूमि का निः शुल्क पट्टा दिनांक 25.09.2014 द्वारा ग्राम पंचायत दामाखेड़ा

उपस्थिति : 1–श्री अरविन्द व्यास, अधिवक्ता निगराकारगण
2–श्री अम्बालाल औड़, अधिवक्ता गैर निगराकार सं. 1

प्रकरण संख्या 46/2015 (नि.पं.)
समस्त ग्रामवासी गांव ताराखेडी जरिये प्रतिनिधि प्रेमसिंह पिता गोदासिंह रावत वगैरा बनाम श्रीमति देउ बाई पत्नि उदयदास वैष्णव, निवासी ताराखेड़ी ग्राम पंचायत दामाखेड़ा वगैरा

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत दामाखेड़ा गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष मे जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 157/003 दिनांक 25.09.2014 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत दामाखेडा के तत्कालीन सरपंच ने अपने मिलने वाले व्यक्ति जो कि गैर निगराकार संख्या 1 है को लाभ पहुंचाने की नियत से सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, ना ही गैर निगराकार संख्या संख्या 1 से कोई आवेदन लिया गया और ना ही मौके पर निरीक्षण किया तथा ना ही आपत्ति नोटिस जारी किया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत दामाखेड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 25.09.2014 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल औड़ ने अधिकार पत्र पेश किया। गैर निगराकार संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। ग्राम पंचायत, दामाखेड़ा से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, दामाखेड़ा ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत, दामाखेड़ा के तत्कालीन सरपंच ने अपने मिलने वाले व्यक्ति जो कि गैर निगराकार संख्या 1 है को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से सार्वजनिक उपयोग की भूमि जो कि सार्वजनिक स्नानघर के समीप लगी हुई है उस जमीन का गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी कर दिया जिससे नवरात्रि समाप्ति पर सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन उक्त स्थान पर करना संभव नहीं हो पा रहा है जबकि विगत कई वर्षो से इस स्थान पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है जिससे समस्त ग्रामवासियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत, दामाखेड़ा द्वारा पट्टा जारी

करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। नियम 158 के तहत आवंटी से कोई आवेदन नहीं लिया गया एवं नियमों के तहत कोई निरीक्षण नहीं किया गया और आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया गया न ही कोई शपथ-पत्र लिया और नियमानुसार आवंटन से पूर्व कोई पर्चा मौका भी नहीं बनाया गया। गैर निगराकार संख्या 1 आर्थिक रूप से सृदृढ़ होने के बावजूद भी उसे सार्वजनिक उपयोग-उपभोग की भूमि पर निः शुल्क पट्टा जारी किया जो कि उक्त भूमि रास्ते की होकर पास में नाडी है जो कि निरस्त योग्य है। गैर निगराकार संख्या 1 ने राजनैतिक फायदा उठाकर उक्त विवादित भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर नींव खुदवाने का कार्य चालू करने पर दिनांक 27.08.2015 को समस्त ग्रामवासियों को उक्त अवैध पट्टे की जानकारी हुई जिस पर विधि-विरूद्ध जारी पट्टे की नकल प्राप्त कर अविलम्ब यह निगरानी पेश है। अतः निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत दामाखेड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 25.09.2014 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत दामाखेड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 25.09.2014 पंचायती राज नियमों की पालना कर जारी किया है जिससे पट्टा पूर्णतया विधि-सम्मत् है। उक्त पट्टा जो गैर निगराकार संख्या 1 को जारी किया गया है वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु विधिवत् ग्राम पंचायत, दामाखेडा में आवेदन पेश करने पर नियमानुसार मौका निरीक्षण कर, राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों की पूर्ण पालना करते हुए तथा गैर निगराकार संख्या 1 निः शुल्क पट्टा आवंटन की पात्र होने से यह पट्टा जारी किया गया है। समस्त ग्रामवासियों की ओर से जिन व्यक्तियों ने प्रतिनिधि बनकर यह निगरानी पेश की है वे सभी व्यक्ति गैर निगराकार संख्या 1 के विरोधी होने से गैर निगराकार संख्या 1 को नाजायज परेशान व जलील करने की नियत से निगरानी में मनगढ़न्त तथ्य अंकित कर यह निगरानी पेश की है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत, दामाखेड़ा द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकारगण ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत, दामाखेड़ा द्वारा उक्त विवादित पट्टा सार्वजनिक उपयोग की भूमि जो कि रास्ते की होकर नाडी के समीप स्थित है, पर जारी करना बताया है किन्तु निगराकारगण ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत

नहीं किया है जिससे उक्त पट्टा रास्ते व नाडी के समीप स्थित सार्वजनिक उपयोग-उपभोग की भूमि पर जारी करना प्रतीत होता हो। जहां तक अधिवक्ता निगराकारगण ने पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदन नहीं लेने, मौका निरीक्षण नहीं करने तथा पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं कर पट्टा जारी करने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, दामाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार, विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार संख्या 1 से नियमानुसार आवेदन प्राप्त किया है जिस पर विधिवत् मिसल कायम कर उक्त पट्टे की भूमि का नक्शा बनाया गया है एवं आबादी भूमि के निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नियुक्त कर मौका निरीक्षण भी किया गया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नियमानुसार 1 माह का सूचना पत्र भी जारी किया गया है।

निगराकारगण द्वारा अपनी निगरानी में यह तथ्य भी अंकित किया है कि गैर निगराकार संख्या 1 आर्थिक रूप से समर्थ होने के बावजूद भी उसे निः शुल्क पट्टा जारी किया है वहां भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि निगराकारगण द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो, जबकि इसके विपरीत गैर निगराकार संख्या 1 श्रीमति देउ बाई ने पट्टा जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में स्वयं को बी. पी. एल. श्रेणी में होना अंकित किया है तथा अपने बी. पी. एल. क्रमांक 1087127 वर्ष 2002 भी अंकित किये हैं जिसके अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 निः शुल्क पट्टे हेतु पात्र की श्रेणी में आती है। जहां तक गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा विवादित पट्टे की भूमि पर नींव खुदवाने का कार्य करने का प्रश्न है, चूंकि गैर निगराकार संख्या 1 विवादित भूमि की पट्टाधारक होने से नींव खुदवाकर निर्माण कार्य करने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही अधिवक्ता निगराकारगण यह भी साबित करने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को गलत तरीके से अथवा अवैध पट्टा जारी किया गया हो तथा अपनी निगरानी में वर्णित/अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 003 दिनांक 25.09.2014 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)